प्रेस नोट
जनपद सीतापुर

अपहरण कर स्वयं की हत्या होने का झूठा स्वांग रचने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांकः-13.02.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा नागरिक जनसामान्य द्वारा दी गयी प्रत्येक सूचना को गम्भीरता से लेते हुए उस पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

दिनांक 11.02.2026 को समय करीब 20.50 बजे थाना स्थानीय पर सूचनाकर्ता तौफीक पुत्र जान मोहम्मद निवासी शाहमहोली थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर के द्वारा जरिये दूरभाष पुलिस को सूचना दी गयी कि उनके चाचा इस्लाम पुत्र सिरदार व भाई तहसीम पुत्र जान मोहम्मद निवासीगण ग्राम शाहमहोली थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से बडागांव रिश्तेदारी गये हुए थे जहाँ से वापस आते समय पगरोई मोड नहर पुलिया पर उनके गांव के ही कुछ विपक्षीगण ने उनके चाचा व भाई का अपहरण कर हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उच्चाधिकारीगण व थाना कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके पर खाली कार बरामद हुई जिसके पश्चात सूचनाकर्ता के चाचा व भाई की तलाश, मामले की जांच व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी तो यह बात प्रकाश में आयी कि सूचनाकर्ता के चाचा इस्लाम व भाई तहसीम ने मिलकर अपने गांव के विपक्षीगण को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए स्वयं के अपहरण व हत्या का स्वांग रचा है। जिसके पश्चात सूचनाकर्ता के चाचा व भाई की तलाश हेतु दबिश दी गयी तो दोनो व्यक्ति नानकारी नहर पुलिया के पास मिले। जिनसे पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि उन लोगो की गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से दुश्मनी चल रही है जिसको फसाने के लिए दिनांक 11.02.2026 को उन लोगों ने बडागांव नहर पुलिया पर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार को रात में किनारे खड़ी करके चालक सीट पर खून फेक कर गाड़ी की चाभी तथा मोबाइल को उसी गाड़ी में छोडकर अपने परिवार वालों को सूचना दी कि प्रधान प्रतिनिथि तथा उसके साथियों ने हम लोगो का अपहरण कर लिया है तथा अब वह लोग हमारी हत्या कर देंगे। साहब हमारा किसी ने अपहरण नही किया है हम लोगों ने अपने दुशमन को फंसाने के लिए यह सब झूठा नाटक रचा था।

तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आलोक सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षकर श्री अमर सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा झूठी सूचना देने वाले अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत करते हुए नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

- मु0अ0सं0 31/26 धारा 248 (बी) बीएनएस थाना कोतवाली देहात सीतापुर

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण:-

1. इस्लाम पुत्र सिरदार निवासी ग्राम शाहमहोली थाना को0 देहात जनपद सीतापुर
2. तहसीम पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम शाहमहोली थाना को0 देहात जनपद सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इस्लाम पुत्र सिरदार उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 330/16 धारा 147/452/323/354/504/506 भा.द.वि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 508/16 धारा 307/323/506 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर सीतापुर
3. मु0अ0सं0 449/16 धारा 147/148/149/307/308/323/504/506 भा.द.वि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर
4. मु0अ0सं0 24/25 धारा 110/351(2)/115(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली देहात सीतापुर
5. मु0अ0सं0 31/26 धारा 248 (बी) बीएनएस थाना कोतवाली देहात सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तहसीम पुत्र जान मोहम्मद उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 330/16 धारा 147/452/323/354/504/506 भा.द.वि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 24/25 धारा 110/351(2)/115(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली देहात सीतापुर
3. मु0अ0सं0 31/26 धारा 248 (बी) बीएनएस थाना कोतवाली देहात सीतापुर

पुलिस टीम थाना कोतवाली देहात सीतापुरः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह
2. उ0नि0 श्री तेजबहादुर सिंह
3. उ0नि0 श्री रामचन्द्र यादव
4. का0 मनोज कुमार
5. का0 कपिल कुमार
6. का0 नरेन्द्र कुमार

------------X------------